Admitted
Stay

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) कामश्नर आफिस

R 1027-III/08

जगन्नाथ पटेल तनय श्री राजभान पटेल , निवासी ग्राम गोरगाँव , ज.नं.- 165 , तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म.प्र.

------ आवेदक ।

क्रमांक 1475
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 26-8-08 को प्राप्त
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- हीराकली पुत्री गलई पटेल पत्नी उर्मिला पटेल , निवासी ग्राम गोर - गाँव , तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म.प्र. ।

2- सत्यनारायण तनय रामावतार , निवासी ग्राम गोरगाँव , तहसील - रायपुर कर्चु., जिला रीवा म.प्र. ------ अनावेदक गण ।

नरेन्द्र प्रसाद पटेल
12/8/2008

Supdt. 12/8/08
Commissioner's Office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म.प्र. , प्र.क्र. 614/अपील/06-07 , आदेश दिनाँक 9-7-2008 .

मुताबिक धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता सन् - 1959 ई. ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है ।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्र. 1, द्वारा कराये गये वादग्रस्त भूमि के सीमाँकन के आधार पर उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 250 एम. पी.एल.आर.सी. के आवेदन पत्र को म्याद के अन्दर कब्जा वापिसी का आवेदन पत्र होना मानकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त करने में भूल की है, जबकि अनावेदिका क्र.1, ने विवादित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1027–तीन/2008 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ हस्ताक्षर
9-6–2016	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। 2/ अनावेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 14.10.15 को विवादित स्थल का कब्जा तहसीलदार द्वारा दिया जा चुका है। अतएव अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अवशेष नहीं रही है । अतः समाप्त किया जावे । चूँकि तहसील न्यायालय से अन्तर्गत धारा 250 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता में अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया जाकर विवादग्रस्त स्थल का कब्जा दिये जाने का आदेश दिया गया था । जिसे अनुविभागीय अधिकारी रामपरु कर्चुलियन जिला–रीवा द्वारा अपने प्रकरण क्र0 16/अ–70/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2007 द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया गया। 3/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुये अपर आयुक्त रीवा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी ।	

P.T.O.

R 1027 –III/08 रीवा

4/ विद्वान अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने प्रकरण क्र0 614/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2008 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का आदेश निरस्त कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया, और अब चूँकि तहसीलदार द्वारा विवादग्रस्त भूमि का कब्जा भी अनावेदक क्र0 1 को दिया जा चुका है ।

5/ उपरोक्त व्याख्या के आलोक में अब इस प्रकरण में निराकरण हेतु कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गई । प्रकरण समाप्त किया जाता है । रिकॉर्ड दाखिल हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य

P.T.O.